भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 918

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड और संबंधित रोगों के उपचार संबंधी भ्रामक विज्ञापन

918. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में यह देखने के बाद कि पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापन जानबूझकर और साशय ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके नियमों का उल्लंघन किया गया था, सरकार द्वारा कोविड और संबंधित रोगों के उपचार संबंधी भ्रामक विज्ञापन देने के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने की समस्या से निपटने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के लिए दंडित किया गया है और उन कंपनियों की संख्या कितनी है जिनके लाइसेंस ओषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अनुसार लोगों को धोखा देने के लिए रद्द कर दिए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जी हां, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कहा गया है कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास निहित है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रीय सरकारों को औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार भी दिया गया है तथा औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा (8) के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है ताकि वे कथित भ्रामक या अनुचित विज्ञापनों से संबंधित किसी भी परिसर में प्रवेश

कर उसकी तलाशी ले सकें या किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकें या उसे जब्त कर सकें तथा चूक के मामलों में कार्रवाई शुरू कर सकें।
राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, उत्तराखंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 10 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, माननीय सीजेएम कोर्ट हरिद्वार में मैसर्स पतंजलि फार्मेसी और मैसर्स दिव्य फार्मेसी के खिलाफ मामला (5739/2024) दायर किया गया है।

(ग) जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने अपनी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत आयुष औषधि गुणवत्त एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के एक घटक के रूप में एएसयू और एच औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम लागू किया है। यह भेषजसतर्कता कार्यक्रम देश भर में स्थापित एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और 99 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के तीन-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रहा है। इन केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और चूककर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने का अधिकार है ।

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत नियमों में आयुष औषधियों सहित औषधियों और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक लगाने के प्रावधान शामिल हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देते हैं और आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की हैं और एसएलए को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू करने और विनियमित करने के निर्देश दिए हैं।

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा (3) मधुमेह, मोटापा, कैंसर सहित 54 क्रियान्वित रोगों और विकारों के उपचार के लिए कुछ औषधियों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाती है। ये रोग अधिनियम की निषिद्ध अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो स्पष्ट रूप से कंपनियों को इन स्थितियों के उपचार के रूप में औषधियों को बढ़ावा देने या विपणन करने से मना करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति किसी भी औषधि का उल्लेख करने वाले किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा, जो इस तरह से सुझाव देता है या अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी रोग, विकार या स्थिति के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम के लिए उस औषधि का उपयोग करता है, या किसी अन्य रोग, विकार या स्थिति (जिस भी नाम से पुकारा जाता है) जिसे इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2024 को एक एडवाइजरी जारी की और “आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों/दवाइयों के लिए लेबलिंग प्रावधानों के अनुपालन” के संबंध में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयुष औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, सभी आयुष औषधि विनिर्माताओं/संघों और राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र को निर्देश दिया

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसे दिनांक 08.10.2024 को भारत भर के 100 प्रमुख समाचार पत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया था।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अनुसार धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के लिए दंडित की गई कंपनियों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

*****

संलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार-

(क) औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अनुसार धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के लिए जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

	आंध्र प्रदेश
1.	मोजस हर्बल्स, डी. नं. 76-97-पी-763. कमजोर वर्ग कॉलोनी, कुरनूल आंध्र प्रदेश
2.	कुरनूल में मैसर्स वैद्य रूशी आयुर्वेदिक्स आंध्र प्रदेश

(ख) औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जनता को धोखा देने के लिए दंडित की गई कंपनियों का विवरण निम्न प्रकार है:

केरल	
1.	मैसर्स उर्जा प्लस बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, द्वार संख्या 32/1572/43, ईएमसी के सामने, एनएच बाईपास, पलारीवट्टोम, कोच्चि, एर्नाकुलम
2.	मैसर्स कुन्नाथ फार्मास्यूटिकल्स, जीसीडीए कॉम्प्लेक्स, मरीन ड्राइव, एर्नाकुलम

3.	1. मैसर्स हर्बोकेयर, पोडिकुलंगरा, वरोड, कोट्टई। पी. पी., पलक्कड़-678572 पी. चंद्रकला, पलक्कल हाउस, पी. ओ, पलक्कड़। 2. मैसर्स मनीपाल एडवरटाइजिंग कंपनी, पलारीवट्टोम, एर्नाकुलम
4.	मैसर्स पांडव आयुर रेमेडीज़, वी/121, अन्नमानंद, पीओ, त्रिशूर, सीआर धर्मजन, चिल्लिकट्टिल हाउस, अलाथुर पीओ, त्रिशूर
5.	1. मैसर्स के-लिंक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पलारीवट्टोम, कोच्चि 2. मैसर्स वेलेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र
6.	मैसर्स ऑर्थोकेयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कीझिलम, एर्नाकुलम
7.	मैसर्स कृष्णा आयुर्वेद फार्मेसी, द्वार संख्या केपी. 0/689-ए, कोलाचेरी, पोस्ट ऑफिस, कन्नूर-670601
8.	मैसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन थैरेपीज़, अन्नामनाडा, त्रिशूर
9.	मैसर्स संतोष फार्मेसी, कडालुंडी, मलप्पुरम
10.	मैसर्स एनपी आयुर्वेद रिसर्च लेबोरेटरीज, मरनाडु, एझुकोण, कोल्लम
11.	मैसर्स फ्रांसिस वैद्यन्स आयुर्वेद वैद्यशाला (पी) लिमिटेड, माला, त्रिशूर-680734
12.	मैसर्स मारुथा फार्मा, कुडप्पनकुन्नु, तिरुवनंतपुरम
13.	मैसर्स एनपी आयुर्वेद रिसर्च लेबोरेटरीज, मारानाडू, पीओ एझुकोन, कोल्लम
14.	सीरगुरु आयुर्वेदिक उत्पादन केंद्र, मावेलिककारा, अलापुझा
15.	अवद्यनम हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं: 17,18, टीवीएमपी
16.	अयूर अनुसंधान केंद्र, इलिक्कापाडी, इरूर पीओ, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम
17.	मेडिविंग फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 48/2488-बी, कोचीन
18.	फाइटोमेड रिसर्च फाउंडेशन, III/IV, एर्नाकुलम
19.	शंकर फार्मेसी एर्नाकुलम
20.	देवी डिस्ट्रीब्यूशन्स (माधव फार्मास्यूटिकल्स लैबोरेटरीज)

(ग) जिन कम्पनियों के विरुद्ध औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के लिए अदालती मामले दर्ज किए गए हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है:

गुजरात	
1.	सनशाइन हेल्थकेयर, सूरत - बीईए डायबो टैबलेट और अन्य
2.	सनशाइन हेल्थकेयर, सूरत- आरोग्य जीवन उत्पाद
3.	सनशाइन हेल्थकेयर, सूरत- प्रकृति श्रेणी आयुर्वेदिक

4.	आयुष्मान भव आयुर्वेद, सूरत- आयुष्मान भव आयुर्वेद उत्पाद
5.	सनशाइन हेल्थकेयर, सूरत- सभी उत्पाद
6.	दुष्यंतम आयुर्वेदिक स्टोर, सूरत-HC+ हेयर ऑयल और वजन घटाने, गैस, एसिडिटी, बवासीर के लिए अन्य उत्पाद
7.	निराली आयुर्वेदिक, सूरत- निराली स्वदेशी चूर्ण
8.	ओम ग्रीन हर्बल उत्पाद- ओम ग्रीन हर्बल, सूरत
मध्य प्रदेश	
1.	दिविसा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड

(घ) उन कम्पनियों का ब्यौरा जिन्हें औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के लिए नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

उत्तराखंड	
1.	मैसर्स डेल्टाजेड फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एफ -52 , औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार।
2.	मैसर्स इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स , प्लॉट नंबर 29, सेक्टर 01बी, आईआईईडी, सिडकुल, हरिद्वार
3.	मैसर्स स्वदेशी आयुर्वेदिक फार्मेसी , इमलीखेड़ा, हरिद्वार।
4.	मैसर्स इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोहान, अल्मोड़ा।
5.	मैसर्स देश रक्षक औषधालय लिमिटेड, खसरा नंबर 308/1 , 308/2 , 309 , 310/1 , 310/2 , 311 , 312 , लक्सर रोड, ग्राम भोगपुर, हरिद्वार
6.	मैसर्स दिव्य योग फार्मेसी , ए-1, औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार।
7.	मैसर्स दिव्य फार्मेसी यूनिट-2 , खसरा नंबर 210, 211, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, लक्सर रोड, पधर, हरिद्वार।
8.	मैसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, यूनिट-3, पधर, लक्सर रोड, हरिद्वार।
9.	मैसर्स व्यास फार्मास्यूटिकल्स, प्लॉट नंबर 77, सेक्टर 6ए, सिडकुल, हरिद्वार द्वारा मैसर्स चतुर्भुज फार्मास्यूटिकल्स कंपनी , दही मंडी, दौलतगंज, ग्वालियर, एमपी
10.	मैसर्स मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड , खसरा नंबर 37, ग्राम मक्खनपुर, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार।
11.	मैसर्स ला-ग्रांडे हर्ब्स एंड फार्मा लिमिटेड , प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 6बी, सिडकुल, औद्योगिक क्षेत्र, आईआईईडी, रानीपुर, हरिद्वार।
12.	मैसर्स पारस दुख भंजन आयुर्वेद आश्रम, खीरी नंबर 2, डोईवाला, देहरादून द्वारा मैसर्स धर्मदर्शन त्रिविद्या अनुसंधान केंद्र प्रा. लिमिटेड , ग्राम ककनावा, डाकघर थानो, जिला देहरादून
13.	मैसर्स सिंकोम हेल्थकेयर लिमिटेड , डी-42, क्षेत्र सेलाकुई, देहरादून।
14.	खसरा नंबर 92, 93, ग्राम मक्खनपुर, देहरादून रोड, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार द्वारा मैसर्स संजीवनी आयुर्वेद आश्रम , वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश मैसर्स रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड

15.	मैसर्स इमामी फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स , प्लॉट नंबर 40-41, सेक्टर 5, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र, उधम सिंह नगर।
16.	मैसर्स बीसी हसराम एंड संस , अपर रोड, हरिद्वार।
17.	मैसर्स आरोग्य फॉर्म्युलेशन प्रा. लिमिटेड , 76, सेक्टर-6ए, सिडकुल, हरिद्वार।

गुजरात	
1.	शेठ बंधु - कायम चूर्ण
2.	इमामी प्राइवेट लिमिटेड- झंडू पंचाररिष्ठ
3.	वासु हेल्थकेयर, वडोदरा- सुवर्ण प्राशन, कुमकुमादि तेल, कुमकुमादि तेल से समृद्ध चीनी स्क्रब, चेहरे का सौंदर्य तेल
4.	अमर आयुर्वेद, सूरत- मधुमेह विशेष अमरवीरा चूर्ण
5.	एस बी बायोटेक- अर्शित ब्रांड उत्पाद
6.	विव्वन हर्बल्स, अहमदाबाद- विव्वन हर्बल्स उत्पाद
7.	श्री शंकर आयुर्वेदिक फार्मेसी उत्पाद- श्री शंकर आयुर्वेदिक फार्मेसी, अहमदाबाद
8.	श्रीजी उपचार उत्पाद - श्रीजी उपचार, अहमदाबाद

	आंध्र प्रदेश
1.	श्री मंजूनाडला आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड राचेरला, प्रकाशम जिला, एमएफजी एवं जीएमपी लाइसेंस संख्या आर-1936/अयूर
2.	आयुर्वेद वनमुलिका वैद्यम, गुनीपुड़ी, भीमावरम डब्ल्यू.जी जिला
3.	हर्बो वर्ल्ड, रामकृष्णपुरम, विजयवाड़ा, एनटीआर जिला
4.	जगुआर फैट टू फिट, बंदर रोड, विजयवाड़ा
5.	अनुवमसिका मुलिका वैद्युलु आयुर्वेद उत्पाद, नंदीकोटकुर, कुरनूल जिला
6.	नागेश्वर राव आयुर्वेदिक अस्पताल, राचेरला, प्रकाशम जिला
7.	पक्षवथ निवारण वैद्य केंद्रम, बनगनपल्ली, नंदयाला जिला
8.	संजीवनी आयुर्वेदिक वनमुलिका वैद्यम हर्बल उत्पाद, बनगनपाली, नंदया जिला